

अज अदालत.....

राजस्थान कोर्ट (SDO)  
बायलु

मुकाम.....

2011 (17)

बनाम

शिवराज ठाकुर

किस्म मुकदमा.....

अ. ओ. व. न.

नं

14

सन्

2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.2.18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>शिवराज ठाकुर</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLRAR</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>26.2.18</u> को पेश हो।</p>	
26/02/18	<p>प्रार्थी व वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गणों के नोटिस तामील हुआ जात जिसे तामील पत्रावली किया गया। विप्रार्थी/गण वाकनुद तामिल अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति काटल सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बतलाया की प्रार्थी को अपने ध्यातकारी खेतों के चारों ओर पक्के नेपथम स्थापित करने का परशु है। इसलिए प्रार्थी को नेपथमवनी आवेदन स्वीकार किया जाउ। नेपथमवनी आवेदन स्वीकार किया जावे।</p> <p>मतः प्रार्थी को नेपथमवनी आवेदन स्वीकार किया जाउ। तदनुसार वाकनुद के अधिवक्ता नियुक्त किया जात है व आवेदन दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी अन्य कमिश्नर निरिस्त के प्रार्थी के ध्यातकारी खेतों के पक्की नेपथमवनी माउंटेड पर कुल 3 जमा डराउर के पालना रिपोर्ट जात होने पर तामिल पत्रावली दी, पत्रावली जेमल कुमार दी, दर्ज नम्बर में उपर्युक्त दाखिल इन्फर दी।</p>	

सहायक कलेक्टर (SDO)

क्रमांक / वाद / 2018 /  
प्रार्थीगण

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांक - 27.2.18

बनाम

विप्रार्थीगण

1. श्री रूगाराम पुत्र पूनमाराम  
जाति मेघवाल निवासी हुडों  
की ढाणी, कोसरिया तह. बायतु  
जिला बाडमेर

1. श्री भंवराराम पुत्र ईन्दाराम वगैरा  
14 निवासी हुडों की ढाणी,  
कोसरिया तह. बायतु जिला  
बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 64/18

आदेश

मौजा हुडों की ढाणी पटवार हल्का कोसरिया के खेत खसरा नम्बर 206, 402/139, 433/205, 482/290 रकबा 06.06, 61.02, 07.09, 20.19 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर कोसरिया जमाखत होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु/नागाणा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिभूत किया जाता है।



क्रमांक / वाद / 2018 / 286-290

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

(हैदर अली खान) (S.D.O.)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक :- 27.2.18

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मथ रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रूगाराम पुत्र पूनमाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री भंवराराम पुत्र ईन्दाराम वगैरा 14।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
बायतु